मूलवाद 2025/011

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
अनुरीत कौर बनाम सुखविन्द्र कौर व अन्य
विविध प्रार्थना संख्या 2025/003
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
07.02.2025	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगतसिंह जाखड़ द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। वाचक द्वारा विस्तृत रिर्पोट हो चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र चक 3 एच छोटी, पटवार हल्का 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/61 के मु.न. 37 की 2.087 हैक्टे0 रकबा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रश्नगत आराजी के संबंध में न्यायालय हाजा में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र 2024/004 अनवानी अनुरीत कौर व अन्य बनाम अनमोल सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वादीया की कुदरती वली माता हर्षदीप कौर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर यह कथन अकिंत किये कि हमारा राजीनामा हो चुका है, अतः पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है का निवेदन किये जाने पर पुर्व पत्रावली दिनांक 26.04.2024 को खारिज की जा चुकी है। हस्तगत प्रार्थनापत्र भी उसी प्रश्नगत आराजी एवं उसी प्रार्थीया अनुरीतकौर जरिये कुदरती वली माता हर्षदीप कौर के द्वारा पेश किया गया है। प्रश्नगत आरजी एवं पक्षकार समान होने के कारण उक्त वाद न्यायालय हाजा में चलने लायक नही पाया जाता है प्रार्थनापत्र प्रार्थीया वर्तमान स्तर खारिज किया जाना न्यायोचित पाती हूँ। पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है पत्रावली दायरा पंजिका के कम से कम की जाकर निर्णय की सूचि में शामिल हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:11:29 IST
Reason: SelfAttested